दिनांक–16.07.2026 को माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थित पंजी अनुसार।

2. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था, जो पदाधिकारी बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित हैं, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 16872 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 14547 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 1340 मामले लंबित है। कई मामले 10 दिन से अधिक लंबित है, जिसके कारण सिवान में 46, पूर्वी चंपारण में 44, वैशाली में 39, गोपालगंज में 23, मधुबनी में 22 एवं भागलपुर में 11 Show Cause की गयी है। इस संबंध में सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु मुंगेर, जमुई, खगड़िया, गया जी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, वैशाली एवं दरभंगा जिलों द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। कतिपय जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लोकार्पण किये गये पंचायत सरकार भवन में अभी भी कई प्रकार के कमियाँ पाये जाने के कारण हस्तांतरण लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है। कई बार निर्माण एजेंसी को कमियों का निराकरण करने हेतु पत्राचार किया गया है, परन्तु उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। निदेशित किया गया कि पंचायत सरकार भवनों में minor crack एवं अन्य कमियों का उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी

के माध्यम से कार्यपालक अभियंता LAEO/BCD के संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दें तथा एक सप्ताह के अंदर विधिवत् ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए। एक सप्ताह के भीतर अहस्तांतरित एवं अक्रियाशील पंचायत सरकार भवनों हेतु सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाए।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कतिपय जिलों में कई वर्षों से हस्तानान्तरण के उपरांत भी पंचायत सरकार भवन अक्रियाशील है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र. सं0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम
1	अररिया	अररिया	अररिया बस्ती	LAEO(Phase-1)
2	पूर्णियाँ	अमौर	आमागाछी	LAEO(Phase-1)
3	पूर्णियाँ	अमौर	तलवारी	LAEO(Phase-1)
4	पश्चिम चम्पारण	बैरिया	तधावनंदपुर	Multipurpose Building
5	पश्चिम चम्पारण	लौरिया	सिसवानिया	LAEO(Phase-1)
6	पश्चिम चम्पारण	लौरिया	सिहपुर सतवारिया	LAEO(Phase-1)

इस संबंध में DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि उक्त पंचायतों के तत्कालीन पंचायत सचिव एवं मुखिया पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें। साथ ही वर्ष 2015 से वर्तमान तक पदस्थापित संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यों के प्रति उपेक्षा हेतु जवाबदेही तय कर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन–प्रशाखा–2)

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 3118 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2795 पंचायत सरकार भवन ही संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 113 में बैंक, 2762 में RTPS केन्द्र, 2704 में विद्युत कनेक्शन, 990 में डाकघर, 540 में NOFN, 1044 में पुस्तकालय एवं 29 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। केवल 947 पंचायत सरकार भवनों में ही सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 737 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 638 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 577 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 159 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि सभी स्वीकृत 1069 पंचायत सरकार भवन में निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 8053 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 1448 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 824 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 558 की तकनीकी स्वीकृति एवं 373 की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि चिन्हित पंचायतों में प्राक्कलन तैयार कराकर व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण अविलम्ब करायें।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक कुल 2,50,852 कार्यादेश के विरूद्ध 2,25,125 लाईटो का अधिष्ठापन हो चुका है, परंतु कुछ जिले यथा सहरसा में 55%, सारण में 57%, मधेपुरा में 59%, पूर्वी चंपारण में 69% एवं भागलपुर में मात्र 72% सोलर स्ट्रीट लाईट का ही अधिष्ठापन किया गया है।

(ख) सभी चरणों को मिलाकर अबतक कुल 10,72,351(95%) लाईटों काCMS पर Integration किया गयाहै, जिसमें से नवादा, औरंगाबाद एवं सारण जिलों में CMS पर 100% integration हो चुका है। सभी जिलो को मिलाकर औसतन 2.19% Signal Loss एवं 0.06% Faulty Light है।

CMS App के माध्यम से पिछले छह माह में कुल 1231 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें से मात्र 499 मामलो का ही निष्पादन किया गया है। 732 मामले अभी भी लंबित है।

पंचायत सचिव द्वारा CMS App के माध्यम से पिछले छह माह में कुल 4,02,096 लाईटों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें से 88%लाईट चालू पाई गई है। नालंदा (95%) एवं शेखपुरा (95%) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिले है।

(ग) भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी चरणों में एजेंसियों द्वारा जमा किये गये कुल बिल के विरूद्ध 91% का भुगतान किया जा चुका है।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान में शेखपुरा, शिवहर, दरभंगा, बक्सर, वैशाली, सहरसा एवं नालंदाजिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. 31 जुलाई, 2026 तक शत–प्रतिशत अधिष्ठापन सुनिश्चित करायें।
2. सभी सोलर लाईटों का सी0एम0एस0 से इन्टीग्रेशन सुनिश्चित कराया जाये।
3. एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।
4. पंचायतों द्वारा लंबित भुगतान को शिविर का आयोजन कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करायें।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	12.75%
02	पंचायत समिति	36.12%
03	ग्राम पंचायत	39.19%

बक्सर, नालंदा, दरभंगा, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है।

(ख) कई जिलों के विभिन्न पंचायतों में सामग्री/सेवाओं का क्रय Single Vendor के माध्यम से की जा रही है, जिसमें से भोजपुर में 27, गया जी में 15, मधुबनी में 9, पूर्णिया में 08 पंचायत शामिल है।

(ग) कुल 04 जिलों यथा–समस्तीपुर, सिवान, शिवहर एवं मधुबनी जिलों में पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर एक भी योजना पूर्ण नहीं की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. सबसे कम व्यय वाले 5 जिलों के उप विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से कारण–पृच्छा की जाए।
2. सामग्री/सेवाओं के क्रय में वेंडर एवं पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–13)

VI. षष्ठ्म राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) कैमुर, बक्सर, पटना, बेगूसराय, मधुबनी, भागलपुर एवं जहानाबाद जिलों के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है।

सीतामढ़ी, खगड़िया एवं बांका जिलों के पंचायत समिति द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गई है। शिवहर, खगड़िया, सारण एवं भागलपुर जिलों के ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की गई राशि न्यूनतम है।

(ख) जिला परिषद् में 15 लाख से उपर कुल 17 Scheme, पंचायत समिति में कुल 12 Scheme तथा ग्राम पंचायत में 18 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

(ग) जिला परिषद के द्वारा कुछ चुनिंदा वेंडरो के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय पर काफी राशि व्यय की जा रही है। साथ ही एक–एक वेंडर को 100 बार से अधिक भुगतान किया गया है।

(घ) शिवहर, खगड़िया, सारण एवं भागलपुर जिलो में कई ऐसे पंचायत है, जहाँ पिछले 15 दिनों में 01% से भी कम राशि व्यय की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. सबसे कम व्यय वाले 5 जिलों के उप विकास आयुक्त, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारीएवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी से कारण–पृच्छा की जाए।
2. विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपरयोजनाओं की जांच कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
3. सार्वजनिक पुस्तकालय पर कुछ चुनिन्दा वेंडरों के माध्यम से व्यय की गई राशि का विभाग स्तर से जांच कराने का निदेश दिया गया।

4. सामग्री/सेवाओं की खरीद–प्राप्ति हेतु विभाग स्तर से मॉडल निविदा तैयार कर सभी जिला परिषद् एवं सभी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्तएवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी।

मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, गया जी, गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

जून माह में लगभग Rs 1300 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार द्वारा वापस की गयी है। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि महालेखाकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(ख) **Departmental Audit Progress Report(FY: 2024-25)-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 38 जिला परिषद के विरूद्ध 34, 533 पंचायत समिति के विरूद्ध 513, 8053 पंचायत के विरूद्ध 7685एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरूद्ध 7726 में ही ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है। निदेश दिया गया कि ऑडिट कार्य को गंभीरता से लेते हुए अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(ग) लोक लेखा समिति की दिनांक– 12.01.2026 को संपन्न बैठक में दिए गए निदेश से संबंधित आपत्ति कंडिकाओं के संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अगले लोक लेखा समिति की बैठक से पहले सभी कंडिकाओं का अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. UC Pending details of RGPSA:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक– 01.04.2014 से 31.03.2023 तक DPRO कार्यालय में विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल ₹07.96 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिसमें से पटना, मधेपुरा, गया जी, खगड़िया एव सिवान जिलो की स्थिति चिंताजनक है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. लंबित न्यायिक वाद :–

कुल 169 CWJC एवं 12 MJC विभिन्न जिलों में लंबित है। MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–9)

X. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7924 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से अबतक मात्र 5061 अंत्येष्टि प्रतिवेदित है तथा 4531 मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। GPDP में पूरक योजना लेकर विभागीय निदेश के आलोक में शवदाह–गृह का निर्माण प्रारंभ कराया जाए।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के 24 घंटे के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. जन–शिकायत की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 624 मामलों के विरूद्ध मात्र 319 मामलें में ही जिलो से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से सुपौल जिले से शून्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. CPGRAMS की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 98 मामलें प्राप्त हुए है, जिसमें से 71 मामलों का निष्पादन हो चुका है। MoPR CPGRAMS से संबंधित मामलों में 154 मामलें 21 दिनों से अधिक लंबित है। विदित हो कि MoPR CPGRAMS से संबंधित मामलों का निष्पादन 21 दिनों के अंदर करना होता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी विस्तृत समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. e-GRAM KACHAHARI:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 64564 मामले के विरूद्ध 35332 मामलों को निष्पादन हो चुका है। सहरसा, गोपालगंज, नालंदा, दरभंगा, रोहतास, वैशाली एवं पूर्वी चंपारण जिलो में मामलों के निष्पादन की प्रगति निम्न है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जिन पंचायतो में शून्य मामले पंजीकृत हुए है, वहाँ के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के कार्यों की समीक्षा की जाए तथा नियमानुसार उन्हें सेवा मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–4)

XIV. 16वाँ वित्त आयोगः–

अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा 16वाँ वित्त आयोग के प्रावधानों के संबंध में प्रस्तुतीकरण की गई। 16वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा में Entry Level Condition के रूप में निम्न कार्रवाई की जानी हैः–

1. 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाना है।

2. वित्तीय वर्ष 2024–25 का अंकेक्षित लेखा।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 का औपबंधिक लेखा।

इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया ताकि 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि राज्य को प्राप्त हो सके।

(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–13)

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. पंचायत सरकार भवन में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए क्रियाशील रखा जाए।
2. पंचायत सरकार भवन में सभी आवश्यक कार्यालय एवं सुविधाएँ यथा– बैंक, पोस्ट ऑफिस, एन0ओ0एफ0एन0, पुस्तकालय, सुधा मिल्क पार्लर आदि की उपलब्धता हेतु जिला स्तर पर नियमित समीक्षा किया जाए।
3. पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा निर्माण के क्रम में नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए।
4. क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण विभाग द्वरा निर्धारित अंतराल एवं संख्या में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. सोलर स्ट्रीट लाईट से संबंधित शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए।

6. 15वाँ वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय दिशा–निर्देश का अनुपालन, गुणवत्ता तथा योजनाओं को पूर्ण करने हेतु कार्रवाई की जाए।

7. स्थानीय निकायों द्वारा सामग्री/सेवाओं के क्रय में वेंडर के साथ मिलीभगत संबंधी गतिविधियों की विभाग स्तर से जांच कराई जाए।

8. विभाग से संबंधित जन–शिकायतें, जो जिला को प्रेषित की जाती हैं, उसकी जांच कराई जाए तथा दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कार्रवाई की जाए।

उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/11276/पं०रा० पटना, दिनांक 5/8/2026

प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/08/26
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/11276/पं०रा० पटना, दिनांक 5/8/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/08/26
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/11276/पं०रा० पटना, दिनांक 5/8/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/08/26
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/11276/पं०रा० पटना, दिनांक 5/8/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

05/08/26
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी